



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65856

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 52164/2025

विकास कनौजिया

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : गौरव कुमार शुक्ला, शिवम कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 81

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।
2. यह अर्जी बीएनएसएस की धारा 528 के तहत, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय संख्या 3, देवरिया द्वारा निष्पादन वाद संख्या 420/2020 (अंशु और अन्य बनाम विकास) में सीआर.पी.सी. की धारा 128 के तहत जारी 24.7.2023 के रिकवरी वारंट को रद्द करने के लिए दायर की गई है। यह मामला थाना अकाउना, जिला देवरिया से संबंधित है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक की शादी 6.5.2018 को विपक्षी नंबर 2 के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद, विपक्षी नंबर 2 ने आवेदक के परिवार वालों के साथ झगड़ा

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करना शुरू कर दिया। आगे यह भी बताया गया कि विपक्षी नंबर 2 ने साल 2020 में सीआर.पी.सी. की धारा 125 के तहत एक अर्जी दायर की थी, जिस पर फैमिली कोर्ट ने 22.8.2022 के फैसले और आदेश के ज़रिए एकतरफ़ा फैसला सुनाया। इस आदेश में आवेदक को विपक्षी नंबर 2 को हर महीने 5,000 रुपये और विपक्षी नंबर 3 को हर महीने 3,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, विपक्षी नंबर 2 ने 22.8.2022 के उस एकतरफ़ा आदेश को लागू करवाने के लिए 8.9.2022 को एक अमल-दरामद की अर्जी दायर की, जिसे निष्पादन वाद संख्या 420 सन् 2022 के तौर पर दर्ज किया गया। फैमिली कोर्ट ने 24.7.2023 के आदेश के ज़रिए आवेदक के खिलाफ़ रिकवरी वारंट जारी किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक कार्यवाही में शामिल होने और विपक्षी नंबर 2 के साथ रहने के लिए तैयार है। इसलिए, यह गुज़ारिश है कि 24.7.2023 के रिकवरी वारंट को रद्द कर दिया जाए।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि विद्वान परिवार न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई अवैधता नहीं की है। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक भरण-पोषण की बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहा है, और इसलिए, उसके विरुद्ध वसूली वारंट सही ढंग से जारी किया गया है। अतः, वर्तमान आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

5. दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, यह पता चलता है कि आवेदक की शादी हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार 6.5.2018 को विपक्षी पार्टी नंबर 2 के साथ हुई थी, और इस शादी से एक बच्चा हुआ था। विपक्षी पार्टी नंबर 2 ने सीआर.पी.सी. की धारा 125 के तहत एक अर्जी दायर की थी, जिस पर 22.8.2022 के फैसले और आदेश के ज़रिए एकतरफ़ा फैसला सुनाया गया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



था। इसके बाद, विपक्षी पार्टी नंबर 2 ने गुजारा-भत्ते की बकाया राशि की वसूली के लिए सीआर.पी.सी. की धारा 128 के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू की।

6. आवेदक ने इस अर्जी के साथ फैमिली कोर्ट की कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि जमा की है, जो पेपर नंबर 36 से 48 पर है। फैमिली कोर्ट की कार्यवाही से पता चलता है कि फैमिली कोर्ट ने 24.7.2023 के आदेश के ज़रिए आवेदक के खिलाफ़ रिकवरी वारंट जारी किया था। कार्यवाही से यह भी पता चलता है कि आवेदक फैमिली कोर्ट में पेश हुआ था और रिकवरी वारंट को वापस लेने के लिए अर्जी दी थी, और मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। हालाँकि, 2.9.2025 के आदेश के अनुसार, आवेदक मौजूद नहीं था और निचली अदालत के मीडिएशन सेंटर में तय की गई शर्तों का पालन करने में नाकाम रहा। नतीजतन, फैमिली कोर्ट ने आवेदक के खिलाफ़ रिकवरी की कार्यवाही शुरू कर दी। इस तरह, रिकॉर्ड को देखने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि फैमिली कोर्ट ने विवादित आदेश पारित करने में कोई गैर-कानूनी काम या अनियमितता की है।

7. हालाँकि, आवेदक को आज से तीन हफ़्ते के अंदर संबंधित अदालत में पेश होने की छूट दी जाती है। साथ ही यह निर्देश दिया जाता है कि आज से तीन हफ़्ते की अवधि के लिए या संबंधित अदालत में आवेदक के पेश होने तक, जो भी पहले हो, उक्त मामले में आवेदक के खिलाफ़ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

8. यदि आवेदक बताई गई अवधि के भीतर संबंधित अदालत के सामने पेश होता है, तो संबंधित फैमिली कोर्ट कानून के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई करेगा।

9. तदनुसार, वर्तमान आवेदन का **निपटारा** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



30 मार्च 2026

मो0 फैजल

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”